प्रेस विज्ञप्ति

04 फरवरी, 2019 से मार्च, 2019 की शेष अवधि के लिए विक्रेय दिनांकित प्रतिभूतियों का संशोधित निर्गम कैलेण्डर

संस्थागत तथा खुदरा निवेशकों को अपने निवेशों के कुशल नियोजन हेतु सक्षम बनाने और साथ ही सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता तथा स्थिरता की व्यवस्था करने की दृष्टि से, वित्त वर्ष 2018-2019 (04 फरवरी, 2019- 31 मार्च, 2019 तक) की शेष अवधि हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए निर्देशात्मतककैलेंडर को, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर तैयार किया गया है। निर्गम कैलेण्डर निम्नानुसार हैं:

भारत सरकार का दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए संशोधित कैलेण्डर (04 फरवरी, 2019- 31 मार्च, 2019 तक)			
क्र.सं.	**नीलामी का सप्ता ह**	**राशि(₹ करोड़)**	**प्रतिभूति-वार आवंटन**
1.	04-08 फरवरी, 2019	12,000	**i) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 05-09 वर्ष**
			ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए10-14 वर्ष
			iii) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 15-19 वर्ष
			iv) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 20 वर्ष और उस से अधिक
2.	11 - 15 फरवरी, 2019	12,000	**i) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 01-04 वर्ष**
			ii) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 05-09 वर्ष
			iii) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 10-14 वर्ष
			iv) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 15-19 वर्ष
			v) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 20 वर्ष और उससे अधिक
3.	18 - 22 फरवरी, 2019	12,000	**i) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 05-09 वर्ष**
			ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए10-14 वर्ष
			iii) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 15-19 वर्ष
			iv) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 20 वर्ष और उस से अधिक
4.	25 फरवरी - 01 मार्च, 2019	12,000	**i) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 01-04 वर्ष**
			ii) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 05-09 वर्ष
			iii) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 10-14 वर्ष
			iv) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 15-19 वर्ष
			v) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 20 वर्ष और उससे अधिक
5.	04 - 08 मार्च, 2019	12,000	**i) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 05-09 वर्ष**
			ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए10-14 वर्ष
			iii) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 15-19 वर्ष
			iv) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 20 वर्ष और उस से अधिक
6.	11 - 15 मार्च, 2019	18,000	**i) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 01-04 वर्ष**
			ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 05-09 वर्ष
			iii) 7,000 करोड़ रुपये के लिए 10-14 वर्ष
			iv) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 15-19 वर्ष
			v) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 20 वर्ष और उससे अधिक
7.	18 - 22 मार्च, 2019	18,000	**i) 5,000 करोड़ रुपये के लिए 05-09 वर्ष**
			ii) 8,000 करोड़ रुपये के लिए10-14 वर्ष
			iii) 2,000 करोड़ रुपये के लिए 15-19 वर्ष
			iv) 3,000 करोड़ रुपये के लिए 20 वर्ष और उस से अधिक
जोड़		**96,000**	

2. अब तक की स्थिति के अनुसार, कैलेण्डर में शामिल सभी नीलामियों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना की सुविधा प्राप्त होगी जिसके तहत अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत विनिर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।

3. विगत की भांति, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके भारत सरकार की आवश्यकता , उभरती बाजार की दशाओं और प्रासंगिक कारकों का समुचित ध्यान रखते हुए, बाजार को विधिवत सूचित करने के पश्चात अधिसूचित राशि, निर्गम की अवधि, परिपक्वता आदि के संबंध में, उपर्युक्त कैलेण्डर में संशोधन करने और अमानकीकृत परिपक्वतता वाली लिखतों औरअस्थायी दर वाले बांडों (एफआरबी) जिनमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मुद्रास्फीति संबद्ध बांड शामिल हैं, सहित विभिन्नअ प्रकार की लिखतों जारी करने की लोचशीलता प्राप्त होती रहेगी। परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे कारण भी शामिल होंगे, इस कैलेण्डर में परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसे परिवर्तनों की सूचना प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से दी जाएगी।

4. भारत सरकार के पास , भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके नीलामी की अधिसूचना में दर्शाई गई किसी एक या अधिक प्रतिभूति में 1000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान रखने के लिए ग्रीन शू के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। तथापि, नीलामी में एक या अधिक प्रतिभूतियों में ग्रीन शू के विकल्प का प्रयोग नीलामी हेतु अधिसूचित समग्र राशि के दायरे में होगा।

5. दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित और जारी सामान्यअधिसूचना सं. एफ.संख्या 4(2)-डब्ल्यूएण्डएम/2018, तारीख 27 मार्च 2018, में विनिर्दिष्टशर्तों के अध्यधीन की जाएगी।

भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक 04 फरवरी, 2019